



Email: cswriavikanagar@yahoo.com दूरभाष : 01437-220177 फ़ैक्स नं. 91-01437-220163

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान

अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला-टोंक (राजस्थान) – 304501

ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute

Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501



Dated 22.05.2017

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for **Job contract work for Kharif fodder crop production related activities at various agricultural sectors under the Farm Section of the Institute** at ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501.

Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP <https://eprocure.gov.in/> and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	SP/contract proposal/2017-18/8
Date and Time for issue/Publishing	22-05-2017, 3.00 PM
Document Download/Sale start date and time	24-05-2017, 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	29-05-2017, 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	12-06-2017, 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	14-06-2017, 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – ₹ 1000/- Earnest money – ₹10000/- Security money – 5-10 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501

Administrative Officer

INSTRUCTIONS FOR ONLINE BID SUBMISSION

- 1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: <https://eprocure.gov.in>. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (<https://eprocure.gov.in>) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**
- 2- Tenders/bidders are requested to visit website <https://eprocure.gov.in> regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
- 3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.
- 4- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.1,000/-** (Non-refundable) in the shape of Demand Draft prepared in favour of **ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable at SBI, MALPURA may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.
- 5- The interested Firms are required to deposit (in original) and Earnest Money Deposit (EMD) of the amount mentioned against item in the form of Demand Draft/FDR from any of the Nationalised Bank **in favour of ICAR UNIT -CSWRI, Avikanagar payable at SBI, MALPURA** may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.
- 6- The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to the **Administrative Officer, CSWRI, Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.**
- 7- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, Avikanagar. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, Avikanagar then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

The Firms are also required to upload scanned copies of the following documents:

1. Scanned copy of Firm Registration certificate
2. Scanned copy of Pan card
3. Scanned copy of TIN/TAN Number
4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
5. Scanned copy of D.D. of Tender Fee
6. Scanned copy of D.D. of E.M.D.
7. Any additional required documents mentioned in the Terms and conditions of the Tender

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Administrative Officer

निविदा प्रपत्र सूची

प्रक्षेत्र अनुभाग के अन्तर्गत विभिन्न कृषि सैक्टरों (चौदसेन सैक्टर के (ब्लाक-9 में 16 हैक्टर, ब्लाक-5 में 6 हैक्टर, ब्लॉक-4 में 6 हैक्टर एवं ब्लॉक-3 में 2 हैक्टर लगभग), टाउनशीप (ब्लाक-12 में 9 हैक्टर लगभग), नयाकुआ (ब्लाक-14 में 6 हैक्टर एवं ब्लाक-16 में 3 हैक्टर लगभग) एवं मझोला सैक्टर(ब्लाक-19 में 9 हैक्टर लगभग) पर खरीफ चारा फसलों के उत्पादन हेतु अनुबन्ध

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित समय अवधि/ फसलें	कार्य की अनुमानित मात्रा
1-	चारा फसलों एवं अंजन घास उत्पादन के लिये प्रक्षेत्र तैयार करने हेतु, विभिन्न ब्लॉकों से झाड़ियों/सूखे पेड़ों के टूटों को 9 इन्च गहराई तक खोदकर निकालना, अन्य अवांछनीय पदार्थों को हटाना। पेड़ों की छंगाई करना ।	जून, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक	150 हैक्टर
2-	खरीफ फसल में चोंला, ग्वार, बाजरा/ज्वार, चोंला/ डोलीकस, मूंग/मोठ व मूंगफली इत्यादि की बुआई से लेकर कटाई तक सभी प्रक्रियाएँ (जैसे-दो बार निराई-गुड़ाई करना, फसल कटाई, ग्वार की थ्रेसिंग करना एवं बीज व चारे के भण्डारण इत्यादि कार्य सम्मिलित हैं) करनी होगी। साथ ही चोंला बीज के अतिरिक्त अन्य सभी चारा फसलों के उत्पादन में सूखे चारे के साथ अगर बीज प्राप्त होता है तो वह संस्थान का होगा तथा उसके वजन को चारे की मात्रा में सम्मिलित करते हुये प्रति क्विंटल सूखे चारे की दर से भुगतान कर दिया जावेगा। (ट्रेक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा)	चोंला बीज/ डोलीकस बीज	10 क्विंटल
		चोंला सूखा चारा/डोलीकस सूखा चारा	600 क्विंटल
		ग्वार	700 क्विंटल
		बाजरा/ज्वार	100 क्विंटल
		मूंग / मोठ /मूंगफली	50 क्विंटल

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली-भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये सभी कार्यों का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के अधीन विभिन्न कृषि सैक्टरों पर खरीफ चारा फसलों के उत्पादन से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रैक्ट/जॉब कोन्ट्रैक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा समय-समय उपरोक्त दर्शाये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं प्रभारी, फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय-समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय-समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली-भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य है। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रैक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मैं किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक -----

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता
टेलीफोन/मोबाईल नं.

संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के अधीन विभिन्न कृषि सैक्टरों पर खरीफ चारा फसलों के उत्पादन से संबंधित कार्य करने कि नियम व शर्तें

1. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से 31.03.2018 तक रहेगी, लेकिन सक्षम अधिकारी महोदय चाहे तो कार्य की अवधि कम या एक वर्ष बढ़ाई जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान अनुबन्धकर्ता द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व जमानत राशि जब्त कर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
2. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी यदि आवश्यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है।
3. निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा तो उसे निरस्त समझा जावेगा।
4. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी। साथ ही भविष्य में कोई अनुबन्ध कार्य आवंटन नहीं किया जावेगा।
5. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई अथवा कोई नुकसान/चौरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं अनुबन्धकर्ता को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. अनुबन्धकर्ता को खरीफ की फसल उत्पादन करने के दौरान उपरोक्त सभी सैक्टरों उपलब्ध सामान की सुरक्षा/सिंचाई में काम आने वाले ट्युबवैलों एवं उक्त क्षेत्र में लगी लोहे की फेन्सिंग की देखभाल करनी होगी तथा कार्यालय क्षेत्र के आस-पास लगभग 10 मीटर चारों ओर बने रास्तों की सफाई, लॉन की देखरेख, कटाई-छगाई, पेड़-पौधों को पानी डालना, अनुभाग की नर्सरी की देखभाल करना एवं प्रत्येक सैक्टर पर पहले से बनी नालियों में निर्देशानुसार अपशिष्ट ऊन की खाद तैयार करना होगा। साथ ही खरीफ की फसल की अवधि पूर्ण होने पर प्रभारी, फार्म अनुभाग के निर्देशानुसार समस्त सामान रबी की फसल उत्पादन करने वाले अनुबन्धकर्ता को सौंपना होगा।
7. अनुबन्धकर्ता को प्रक्षेत्र के चॉदसेन, टाउनशीप, नयाकुआ एवं मझोला सैक्टरों के कार्यों को करवाने के लिए अलग-अलग प्रत्येक नियुक्त कर प्रभारी फार्म/प्रभारी सैक्टरों के निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य समय पर पूरे करवाने होंगे। अनुबन्ध कार्य को पूर्ण करवाने के लिए प्रभारी सैक्टरों के निर्देशानुसार श्रमिकों का प्रबन्ध करना होगा। कार्य निर्देशानुसार समय पर पूर्ण नहीं करवाने पर अनुबन्ध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
8. काटे गये सूखे चारे में अगर किसी तरह की अनावश्यक मिलावट पाई जाती है तो प्रभारी प्र-क्षेत्र/सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा जो भी निर्णय लिया जावेगा वह अनुबन्धकर्ता को स्वीकार्य होगा।
9. अनुबन्धकर्ता को फसल की रखवाली भी स्वयं करनी होगी। यदि रखवाली के दौरान बाहरी जानवरों द्वारा चारे को किसी प्रकार से नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति क्विंटल के हिसाब से देय बिल में से औसत पैदावार के आधार पर की जावेगी। नुकसान का आकलन प्रभारी प्रक्षेत्र / सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा।
10. उक्त कार्य के लिये काम में आने वाले औजार व मजदूर अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाना होगा। जुताई, बुआई व ढुलाई के लिये ट्रैक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवा दिया जावेगा।
11. मानसून एवं विविध कारणों से चारा फसलों का उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा संस्थान द्वारा किसी प्रकार का हर्जाना, क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
12. फसलों की कटाई प्रभारी फार्म अनुभाग/सैक्टर प्रभारी के निर्देशानुसार करनी होगी तथा फसलों की तुलवाई धर्म काटें पर या निर्धारित स्थान भेड़ सैक्टरों पर गठित समिति द्वारा किया जावेगा एवं चारे को चारा डिपो में ठीक तरह से जमाना होगा।
13. खरीफ फसलों की बुवाई हेतु बीज संस्थान का रहेगा।
14. कृषि से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि के दिशा-निर्देशानुसार करना होगा एवं खेती के लिए खेत का निर्धारण प्रभारी प्रक्षेत्र/प्रभारी, सैक्टर के अनुसार होगा।
15. अनुबन्ध की अवधि में अनुबन्धकर्ता को सम्बन्धित प्रक्षेत्र के चॉदसेन, टाउनशीप, नयाकुआ एवं मझोला सैक्टरों के कार्यों को की व उसके आस पास की समुचित निगरानी व सुरक्षा करनी होगी। साथ ही सैक्टर के आस-पास आने वाले आवारा जानवरों को भगाते हुये प्रक्षेत्र क्षेत्र/सैक्टर की सुरक्षा करनी होगी। अनुबन्ध की अवधि में अनुबन्धकर्ता अगर प्रक्षेत्र क्षेत्र/सैक्टर के आस पास किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखता है तो उसकी सूचना संबंधित सैक्टर प्रभारी व प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग को देगा।
16. उपरोक्त सभी कार्यों की पूर्णता तभी मान्य होगी जब प्रभारी, प्रक्षेत्र व उनके प्रतिनिधि द्वारा कार्य सन्तोषजनक पूर्णता करने का प्रमाणित करेगे उसके बाद ही भुगतान किया जावेगा यदि कार्य दिये गये माप दण्डों के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया तो किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
17. कार्य का भुगतान अनुबन्धकर्ता द्वारा बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर निश्चित समयावधि 30-45 दिन में कर दिया जावेगा।
18. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख-रखाव स्वयं अनुबन्धकर्ता को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो अनुबन्धकर्ता द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार का निस्तारण अनुबन्धकर्ता स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
19. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय-समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार अनुबन्धकर्ता के देय मासिक बिल में से नियमानुसार सेवाकर/आयकर (Service Tax/Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जज राशि की भी कटौती की जावेगी।
20. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय-2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
21. अनुबन्धकर्ता द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय-पत्र स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय-पत्र

- अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर फार्म अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय-पत्र का व्यय स्वयं अनुबन्धकर्ता को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान-पत्र आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
22. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धकर्ता/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी।
 23. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
 24. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख अनुबन्धकर्ता को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
 25. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे अनुबन्धकर्ता/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
 26. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। टेके की अवधि व उसके उपरान्त अनुबन्धकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कोन्ट्रैक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
 27. संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
 28. सफल अनुबन्धकर्ता को 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
 29. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
 30. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in & e-procure.gov.in पर उपलब्ध है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी शर्तें भली प्रकार से पढ़ली है तथा मुझे स्वीकार्य है। मैं संलग्न निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई दरों पर संस्थान में विभिन्न कृषि सेक्टरों पर खरीफ चारा फसलों का उत्पादन करने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता
निविदादाता का पता
माबाईल नं.